

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-22/2016- 41(ओपर्टन)

/कृ. पटना, दिनांक 21-07-2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

विषय :

वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जिला सिंचाई योजना की तैयारी हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रांश मद से कुल 380.00 लाख रु० (तीन करोड़ अस्सी लाख रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य वर्ग के लिए 296.40 लाख रु० (दो करोड़ छियानवे लाख चालीस हजार रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹2,96,40,000 (दो करोड़ छियानवे लाख चालीस हजार रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3078 दिनांक-14.07.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जिला सिंचाई योजना की तैयारी हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रांश मद से कुल 380.00 लाख रु० (तीन करोड़ अस्सी लाख रु०) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य सामान्य वर्ग के लिए 296.40 लाख रु० (दो करोड़ छियानवे लाख चालीस हजार रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹2,96,40,000 (दो करोड़ छियानवे लाख चालीस हजार रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹2,96,40,000 (दो करोड़ छियानवे लाख चालीस हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण -मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0218-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, विपत्र कोड-P2401001090218, पी०एफ०एम०एस० कोड-9347 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक:-4572 वि. (2) दिनांक-03.06.2016 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

प्रभु राम 6

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

41 (ओपर्टन)

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभु राम 6

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

41 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 21-०७-2016

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शाष्य) योजना कृषि विभाग, बिहार पटना/ प्रभारी पदाधिकारी आत्मा कृषि भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शाष्य)/सभी जिला कृषि भागलपुर/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य बीज निगम/सभी परियोजना निदेशक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभीकरण पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभीकरण (आत्मा)/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुझे
निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव
मुझे कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -

41 (आवंटन)

/कृ., पटना, दिनांक 21-०७-2016

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (शाष्य), सूचना विहार, पटना/आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

मुझे
निदेशक (प्रशासन) - सह अपर सचिव
मुझे कृषि विभाग, बिहार, पटना।